727वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 727वीं बैठक दिनांक 04/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No 11066/2023 Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Murgidhana Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (64800 cum per year) (Khasra No. 354), Village- Murgidhana, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram (M.P.).**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो दुधी नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौरव प्रजापती ड्राफ्टमेन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ शशांक मेसर्स Eco Consultant Services, Lucknow, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	354 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Murgidhana, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–64,800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–64,800 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुर्गीढाना जिला होशंगाबाद के सम्मिलन की दिनांक 02/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है। नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–9 के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है ।	

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–72,000 घनमीटर / वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज / संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.51 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, मुर्गिधाना के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	40,000
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, मुर्गिधाना के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	20,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॅा**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॅा ।	3216

2	ग्राम मुर्गिधाना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1584

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No 11114/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kothiya (Behtaghat) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 354), Village-Kothiya (Behtaghat), Tehsil-Guna, District-Guna (MP).**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/ 03 /2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाती नामदेव/श्री उमेश मिश्रा, मे0. क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, E-mail-sakshamadhikarigunampsmc@gmail.com, Mobile-8989748815, Prior Environment Clearance for Kothiya (Behtaghat) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. - 354), Village-Kothiya (Behtaghat), Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [431812].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 354, एरिया – 5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village - Kothiya (Behtaghat), Tehsil - Guna, District - Guna (M.P.).	

727वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 मार्च 2024

परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,
Description of Project	The Proposed Kothiya (Behtaghat) Sand deposit site is covering an area of 5.00 hectare at Village- Kothiya (Behtaghat), Tehsil- Guna, District Guna (M.P.) (Production per year – 2,000 Cubic Meter).
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान **सिंध नदी** में स्थित है, एवं लीज क्षेत्र में जल भराव दिख रहा है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 2,000 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 2,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 168 दिनांक 26/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **5.00** हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 168 दिनांक 26/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 168 दिनांक 26/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बेंहटाघाट जिला – **उमरिया** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 21/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–08 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को प्रकरण क्रमांक **8143 के द्वारा** पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–**11,500** घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। उत्पादन क्षमता रेत–72,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. ...... लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 25,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कोठिया (बेहटाघाट) के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	**25000**

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000

2	**ग्राम– कोठिया (बेहटाघाट) के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 11201/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Charakwah River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 283/290), Village-Charakwah, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/03 /2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, -Bhopal एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). तथा खनिज अधिकारी श्री देवेन्द्र पटले, उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, E-mail-shahdolmpsmcl@gmail.com, Mobile-9893711855 Prior Environment Clearance for Charakwah River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. 283/290), Village-Charakwah, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP) [432403]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 283/290, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Charakwah, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Charakwah River Sand Mine, area of 4.0 ha. khasra No. 283/290, Production 72,000	

	cum/year at village Charakwah, Tehsil -Jai Singh Nagar, District - Shahdol (MP)
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सोन की सहायक **झापर नदी** में स्थित है एवं लीज क्षेत्र में से नदी की पतली धारा निकल रहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 72,000 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 576 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **4.00** हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 576 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संेसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 576 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत हिड़वाह जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 24/12/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–62 के सरल क्रमांक – 24 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.18 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन

सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, चर्कवाह के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,00,000
आंगनवाडी चर्कवाह के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू3 प्रवेश के-माह के भीतर अग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	85,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	50
2	ग्राम चरकवाह के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4750
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।			

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 11202/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Patasi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 28), Village-Pataasi, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04 /03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Patasi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 28), Village-Pataasi, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [432384]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 28, एरिया – 5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Pataasi, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Patasi River Sand Mine, area of 5.0 ha. khasra No. 28, Production 90000 cum/year at village Patasi, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (MP)	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है, एवं लीज क्षेत्र का कुछ भाग में जल भराव है।	

डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 90,000 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **5.00** हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पटासी जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–15 के सरल क्रमांक – 37 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 04 कार्डिनेट दिये गयें थे, खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 01/03/2024 के द्वारा 12 कार्डिनेट अतिरिक्त दिये गये हैं।** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **खदान के** आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.44 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन

सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, पतासी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	1,30,000
आंगनवाडी पतासी के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू - माह के भीतर अग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना 3 प्रवेश के माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	1,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम पतासी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	6000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की

स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No 11203/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Boddiha Sand Mine in an area of 2.314 ha. (41652 cum per year) (Khasra No. 165), Village-Boddiha, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Boddiha Sand Mine in an area of 2.314 ha. (41,652 cum per year) (Khasra No. 165), Village-Boddiha, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP) [437198]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 165, एरिया – 2.314 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Boddiha, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Boddiha Sand Mine area of 2.314 ha. khasra No. 165, Production 41652 cum/year at village boddiha, Tehsil beohari, District Shahdol (MP)	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 41,652 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 41,652 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **5.00** हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 574 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पटासी जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव कमांक निरंक दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पश्चिम दिशा से लीज क्षेत्र में एक नाला आकर मिल रहा है परियोजना प्रस्तावक ने बताया नाले के संबंध में उनके द्वारा 50 मी. का सेटबेक छोडा गया है जिसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–15 के सरल कमांक – 37 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **खदान के** आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–41,652 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.67 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अमराहा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,10,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2900 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	50
2	ग्राम बोड़दिहा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2850

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉंस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 11204/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Rohaniya Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 167), Village-Rohaniyan, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04 /03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rohaniya Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 167), Village-Rohaniyan, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [432460]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 167, एरिया – 5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Rohaniyan, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Rohniya River Sand Mine, area of 5.0 ha. khasra No. 167, Production 90,000 cum/year at village Rohaniya, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M.P.).	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सोन नदी में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 90,000 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

एनओसी	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बरूका जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 18/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–15 के सरल क्रमांक – 36 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के **पत्र क्रमांक 204 दिनांक 01/03/2024** खदान क्षेत्र के 18 कार्डिनेट प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुतीकर**ण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **लीज क्षेत्र से 162 मी. पर स्टाम डेम है सेंड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार 01 कि.मी दूरी का सेटबेक छोडने के बाद लगभग 02 हे. क्षेत्र बचता है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गहराई 03 मी. लेने पर** अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत **60,000 उपलब्ध होती है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–**60,000** घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, रोहानिया के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	1,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	ग्राम रोहानिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	6000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No 11208/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Batura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (52500 cum per year) (Khasra No. 1279/1567), Village-Batura, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/03 /2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Batura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (52,500 cum per year) (Khasra No. 1279/1567), Village-Batura, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [437151]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 1279/1567, एरिया – 5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Batura, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Batura Sand Mine area of 5.00 ha. khasra No. 1279/1567, Production 52500 cum/year at village Batura, Tehsil Budhar, District Shahdol (M.P.).	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सोन नदी में स्थित है एवं लीज क्षेत्र में जल भराव है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 52,500 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 52,500 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 26/06/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 26/06/2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 26/06/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बटुरा जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–51 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 175मी. पर रोड ब्रिज है,** जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01**कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

8. <u>Case No 11212/2024 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.) , Prior Environment Clearance for Jholi-2 Sand Deposit in an area of 2.45 ha. (4410 cum per year) (Khasra No. 10), Village-Jholi, Tehsil-GhodaDongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/3/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जनमेजय सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ. शंशाक मिश्रा मेसर्स Eco Consultant Services, Lucknow, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	10 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.450 hectare.

727वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 मार्च 2024

स्थल	Village- Jholi, Tehsil- Ghodadongari, District- Betul (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–4410 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–4410 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, पुल एवं स्टॉप डैम स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झोली जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–9 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 175मी. पर रोड ब्रिज है,** जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

9. Case No 11213/2024 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Batkidoh Sand Mine in an area of 2.060 ha. (18540 cum per year) (Khasra No. 112, 349), Village-Batkidhoh, Tehsil-GhodaDongri, District-Betul (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो भडंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जनमेजय सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ. शशांक मिश्रा मेसर्स Eco Consultant Services, Lucknow, Uttar Pradesh तथा खनिज अधिकारी श्री व्ही.के.नागवंशी उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	112 & 349 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.060 hectare.
स्थल	Village- Batkidoh, Tehsil- Ghodadongari, District- Betul, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–18540 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–18540 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1251 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1251 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1251 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, स्टॉप डेम एवं पक्की सड़क स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की	

	परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बटकीडोह जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है ।

प्रस्तुतीकर**ण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–18,540 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी		10,000/-

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2472 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1600
2	ग्राम बातकीदोह के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	872

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विंशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No 11214/2024 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.). Prior Environment Clearance for Jambada Sand Mine in an area of 0.070 ha. (1386 cum per year) (Khasra No. 217), Village-Jambara, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कुडमुड नाला पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जनमेजय सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ. शशांक मिश्रा मेसर्स Eco Consultant Services, Lucknow, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	217 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	0.70hectare.
स्थल	Village- Jambada, Tehsil- Amla, District- Betul, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–1386 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–1386 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, स्टॉप डेम एवं पुल स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है ।	

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 134 मी. पर रोड ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न.**

22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** वि**षय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

11. <u>Case No 11215/2024 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Jholi-1 Sand Deposit in an area of 2.45 ha. (7644 cum per year) (Khasra No. 99), Village-Jholi, Tehsil-GhodaDongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो भडंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जनमेजय सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ. शशांक मिश्रा मेसर्स Eco Consultant Services, Lucknow, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), MPSMC, near Andhra Bank, ITI road, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	99 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.450 hectare.
स्थल	Village- Jholi, Tehsil- Ghodadongari, District- Betul, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–7644 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–7644 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.90 हे. होता	

	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता एवं स्टॉप डेम स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झोली जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 195 मी. पर रोड ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 0**1 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

12. <u>Case No 11219/2024 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barachh-1 Sand Quarry in an area of 4.734 ha. (85212 cum per year) (Khasra No. 2524), Village-Barachh, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP).</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04 /03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण

चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barachh-1 Sand Quarry in an area of 4.734 ha. (85,212 cum per year) (Khasra No. -2524), Village-Barachh, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP) [432360]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 2524, एरिया – 4.734 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village-Barachh, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (M.P.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	Barachh-1 River Sand Mine, area of 4.734 ha. khasra No. 2524, Production 85212 cum/year at Village Barachh, Tehsil Jaisingh nagar, District Shahdol (MP)	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान झापर नदी में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 85,212 घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 85,212 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 575 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.734 हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 575 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 575 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बराछ जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 02/10/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–62 के सरल क्रमांक – 25 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के **पत्र क्रमांक** 201 **दिनांक** 01/03/2024 खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट प्रस्तुत किये गये, परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–85,212 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बराछ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,20,000
आंगनवाडी बराछ के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू प्रवेश-	1,00,000

माह के भीतर अग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना माइनिंग 3 के ऑफिसर को दी जावेगी|	

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5700 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	100
2	ग्राम रोहानिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5600

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉंस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विंशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 11225/2024 Shri GayaprasadAnjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Salaiya Sand Quarry in an area of 4.925 ha. (88650 cum per year) (Khasra No. 807), Village-Salaiya, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गया प्रसाद अंजने Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. एंव उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण

चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). तथा सहायक खनिज अधिकारी श्री दिवाकर चतुर्वेदी, उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, E-mail-umariyampsmcl@gmail.com, Mobile-9926850963. Prior Environment Clearance for Salaiya Sand Quarry in an area of 4.925 ha. (88650 cum per year) (Khasra No. 807), Village - Salaiya, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P.). [432197]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 807, एरिया – 4.925 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village - Salaiya, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
Description of Project	SALAIYA SAND QUARRY AREA OF 4.925 HA, KHASRA NO.- 807, PRODUCTION – 88,650 CUM/YEAR AT VILLAGE - SALAIYA, TEHSIL-MANPUR, DISTRICT- UMARIA(M.P.).	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **भदार नदी** में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत –** 88, 650 **घन मीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत –** 88, 650**घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 992 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **4.925** हे0. होता है, अतः प्रकरण **बी. – 2** श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 992 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➢ आवेदित क्षत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण के संबंध में लेख किया गया है, कि आवेदित क्षेत्र से कोर क्षेत्र की दूरी 4.700 कि.मी. स्थित है। ➢ तद्पश्चात् उप संचालक बा.टा.रि. उमरिया द्वारा पत्र क्रमांक 2173 दिनांक	

	10/09/2020 अनुसार उक्त खदान की निरस्त किये जाने हेतु प्रतिवेदन किया गया है। तद्पश्चात उप संचालक बा.टा.रि. के पत्र क्रमांक 2920 दिनांक 01/10/2020 के माध्यम से लेख किया गया कि उक्त खदान के संचालन में कोई आपत्ति नही है। प्रतिवेदित किया गया है। ➢ उप संचालक बा.टा.रि. उमरिया के प्रतिवेदन क्रमांक/मा.चि./1885 उमरिया दिनांक 29/05/2018 अनुसार उप मण्डलाधिकारी पनपथा अनुसार आवेदित क्षेत्र की बफर क्षेत्र से दूरी 2.720 कि.मी. पर स्थित है।
राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी	अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला – उमरिया के पत्र क्रमांक/289/प्रवा./अनु. अधि./15 मानपुर दिनांक 26/05/2015 एंव खनि. निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। खनित निरीक्षक व सर्वेयर जिला– उमरिया (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार मानव बसाहट–300 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सलैया जिला – **उमरिया** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 27 के सरल क्रमांक–45 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–88,650 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.64 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पडवार के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,50,000
आंगनवाडी के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू माह के 3 प्रवेश के-भीतरअग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	80,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5910 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	100
2	ग्राम सलैया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5810

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं

रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉंस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 11226/2024 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Bonkatta Sand Quarry in an area of 4.750 ha. (54150 cum per year) (Khasra No. 443/1, 443/A/2), Village-Bonkatta, Tehsil-Tirodi, District-Balaghat (MP).

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो बावनथड़ी नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **पूरन लश्कर** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	443/1 & 443/A/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.750 hectare.
स्थल	Village Bonkatta, Tehsil Tirodi District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–54,150 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–54,150 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 633 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 633 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 633 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बोनकट्टा जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–25 के सरल क्रमांक–57 पर दर्ज है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 109 मी. पर स्टेट हाईवें क्रमांक 54 पर निर्मित रोड ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 0**1 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में अवगत कराया कि संबंधित विभाग पी.डब्ल्यू.डी द्वारा अनापत्ति प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त की। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

15. <u>Case No 11227/2024 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Jiyajigarh Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 218), Village-Jiyajigarh, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो गंभीर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी ऑनलाईन मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow, U.P. तथा खनिज अधिकारी सुश्री देविका परमार उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DINESH SHARMA, Manager (Accounts), The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd Paryawas Bhawan,Block -A,2nd Floor, Jail Road ,Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	218 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Jiyajigarh, Tehsil- Nagda & District- Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8000 दिनांक 05/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8000 दिनांक 05/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8000 दिनांक 05/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नहर/नदी/स्टॉप/बॉध एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सूरजाखेड़ी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–25 दिनांक 02/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–49 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र के बीच में एक निमार्णाधिन स्टाप डेम स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडने पर लगभग 0.5 हे. खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान की दी गई गहराई 0.5 मी. अनुसार खनन योग्य रेत की मात्रा लगभग** 2000 घनमीटर/वर्ष **उपलब्धत होती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया प्रकरण में खदान की पूर्व में ईसी जारी नहीं की गयी है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Book spro vided to Students Library of Govt. Middle School, Jiyajigarh	5,500

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2	Distribution of plants to	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल,	1100

	villagers,School, nganvadi andPanchayat	पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विंशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 11228/2024 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Surajakhedi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 352), Village -Surajakhedi, Tehsil -Nagda, District -Ujjain (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो गंभीर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी ऑनलाईन मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow, U.P. तथा खनिज अधिकारी सुश्री देविका परमार उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DINESH SHARMA, Manager (Accounts), The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd Paryawas Bhawan,Block -A,2nd Floor, Jail Road ,Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	352 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village -Surajakhedi, Tehsil -Nagda, District -Ujjain, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो	

	के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 17/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 17/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 17/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नहर/नदी/स्टॉप/बॉध एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजाखेड़ी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–26 दिनांक 02/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–45 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.27 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि **अधिहृत** कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन

सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Surajakhedi	5500

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1100

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉंस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 11229/2024 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tumadawada Sand Quarry in an area of 4.660 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 197, 437), Village-Tumdawada, Tehsil-Ghatiya, District-Ujjain (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो गंभीर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी ऑनलाईन मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow, U.P. तथा खनिज अधिकारी सुश्री देविका परमार उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DINESH SHARMA, Manager (Accounts), The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd Paryawas Bhawan,Block -A,2nd Floor, Jail Road ,Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197,437 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.660 hectare.
स्थल	Village Tumadawada, Tehsil Ghatiya, District -Ujjain, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1992 दिनांक 03/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1992 दिनांक 03/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1992 दिनांक 03/08/23 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नहर/नदी/स्टॉप/बॉध	

	एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तुमड़ावदा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 16/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–15 के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.24 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5 हजार 700 सो तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)

Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Tumadawada	5700

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	900
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉंस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. <u>Case No 11230/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Ghaghrola (Patna) River Sand Quarry in an area of 3.946 ha. (63924 cum per year) (Khasra No. 294/1), Village Ghaghrola, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री **शशि भूषण सिंह** एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	294/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.946 hectare.
स्थल	Village Ghaghrola, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–63,924 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–63,924 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बाबई चीचली के पत्र क्रमांक 2713 दिनांक 05/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत बाबई को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–..... के सरल क्रमांक–....	

	पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र से अप स्ट्रीम में 600 मी. पर रोड ब्रिज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय लोक निमार्ण सेतु विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 73 दिनांक 01/03/24 में उल्लेख है कि के अनुसार निर्मित पुल के दोनो और अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र से अप स्ट्रीम में 600 मी. पर रोड ब्रिज है जिससे वाछिंत रेत की मात्रा उपलब्ध होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–63,924 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.55 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.28 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम घघरोला पटना के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 20 टेबल एवं 20 कुर्सी के लिए 1,20,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति घघरोला पटना के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,20,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4735 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1585
2	ग्राम– घघरोला पटना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3150

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 11231/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Hirapur River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (81000 cum per year) (Khasra No. 605), Village-Hirapur, Tehsil-Tendukheda, District-Narshingpur (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री **शशि भूषण सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	605 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village Hirapur, Tehsil Tendukheda District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–81,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीरापुर जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 17/03/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–47 के सरल क्रमांक–16	

	पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.17 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.एस.आर मद से 1,50,000 रुपये की राशि ग्राम हीरापुर के रोगी कल्याण समिति के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा की जावेगी ।	**1,50,000**

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	5600
2	ग्राम– हीरापुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 11232/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Dewakachhar River Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (77760 cum per year) (Khasra No. 229), Village Dewakachhar, Tehsil Kareli District Narsinghpur (M.P.)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री **शशि भूषण सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	229 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.80 hectare.
स्थल	Village Dewakachhar, Tehsil Kareli District Narsinghpur (M.P.)	

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–77,760 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–77,760 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1000 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1000 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1000 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करेली के पत्र क्रमांक 1878 दिनांक 26/09/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से जनपद पंचायत करेली को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में से नदी की पतली धारा निकल रहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–49 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण के पुरानी ईसी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–77,760 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

727वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 मार्च 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.74 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.32 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.एस.आर से ग्राम देवाकछार के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र प्रभारी की सहमति से 1,50,000 रुपये की राशि के स्वास्थय संबंधी उपकरण भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर उपलब्ध करबाये जायेंगे ।	1,50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5760 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2515
2	ग्राम– देवाकछार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3245
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।		

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –शुद्धि पत्र

Case No. - 10482/2023 Shri Shubham, Lessee, R/o Village-Ratikheda, Tehsil & District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7, 275 cum per year) (Khasra No.- 41/1), Village- Khejra Nai, Tehsil - Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)

समिति के संज्ञान में आया कि कि उनका प्रकरण समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसकी अनुशंसित बिंदु क्रमांक–7 में सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ एवं राशि त्रुटिवश उल्लेख नहीं हो पाया था जबकि परियोजना प्रस्तावक ने समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण में सीईआर मद के अंतर्गत **''ग्राम खेजरानायी के अंतर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में के लिए रू. 70,000 (0.70 लाख) प्रस्तावित किया है''।**

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित बिंदु क्रमांक–7 में सीईआर मद में मद के अंतर्गत **''ग्राम खेजरानायी के अंतर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में के लिए रू. 70,000 (0.70 लाख) प्रस्तावित''** पढ़े जाने निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

<u>Annexure- 'C'</u>

<u>Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*</u>

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range

officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.